दिनांक 11.06.2016 को अपरान्ह् में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज स्थित "पशु चिकित्सालय लालगंज" के किये गये औचक निरीक्षण की अभिलिखित टिप्पणी ।

द्वारा : जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11.05.2016 को अपरान्ह् में जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज स्थित "पशु चिकित्सालय लालगंज" का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री महेन्द्र बहादुर सिंह मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़, श्री भगवान दास कमलवंशी तहसीलदार लालगंज, श्री वी0पी0 सिंह मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ एवं श्री सूरज नारायण प्रभारी पशु चिकित्साधिकारी लालगंज, उपस्थित रहे।

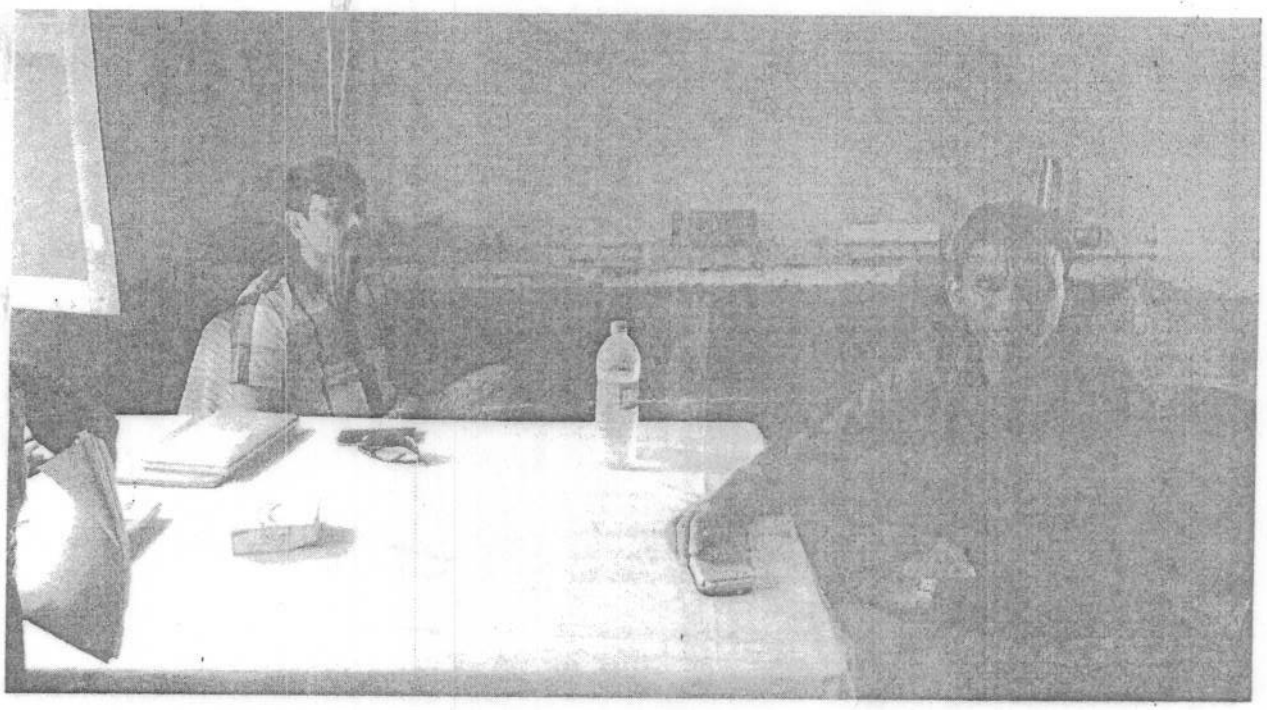

1. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त चिकित्सालय परिसर में काफी बड़ी–बड़ी घॉसें उगी हई हैं तथा चारों तरफ गन्दगी व्याप्त है। इससे स्पष्ट है कि उक्त चिकित्सालय परिसर की नियमित रूप से साफ–सफाई नहीं की जाती है। इस सम्बन्ध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

2. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पशुओं के टीकाकरण कराये जाने से सम्बन्धित रजिस्टर में पशुओं की नस्ल एवं उनके मालिक आदि का विवरण अंकित नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त पशु किस व्यक्ति का है। यह स्थिति संदेहास्पद है। मौके पर उपस्थित प्रभारी चिकित्साधिकारी से पूँछतांछ करने पर उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। इस सम्बन्ध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा उत्तरदायी अधिकारी /कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत

2

करें।

3. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कृत्रिम गर्भाधार से सम्बन्धित रजिस्टर को मात्र औपचारिता हेतु बनाया गया है जिसमें कोई भी प्रविष्टि अद्यावधिक नहीं है तथा उसमें पृष्ठों का अंकन नहीं किया गया है और उसे सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित भी नहीं किया गया है। यह स्थिति अत्यन्त ही चिन्ताजनक है। इस सम्बन्ध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।

4. निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 1.04.2015 से दिनांक 30.03.2016 तक मात्र 382 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया है, किन्तु उक्त पशुओं का ग्रामवार एवं मालिकवार विवरण रजिस्टर में अंकित नहीं है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।

5. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त चिकित्सालय में परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिसके कारण परिसम्पत्ति आदि से सम्बन्धित समीक्षा नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।

6. स्टॉक रजिस्टर के अवलोकनोपरांत पाया गया कि उसमें काफी दवायें एवं उनकी मात्रा अंकित है, किन्तु वह मौके पर उपलब्ध नहीं हैं। मौके पर उपस्थित प्रभारी चिकित्साधिकारी से पूँछतांछ करने पर स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा जनपद स्तर से दवायें प्राप्त की गयी हैं जो मौके पर उपलब्ध नहीं है तथा मौके पर उपस्थित श्री छेदी लाल फार्मासिस्ट द्वारा भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। मौके पर उपस्थित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से पूँछतांछ की गयी तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इस चिकित्सालय हेतु जिला स्तर से दवायें सम्बन्धित को पूर्व में ही सम्बन्धित को प्राप्त करा दी गयी थी। यह स्थिति संदेहास्पद है। इस सम्बन्ध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध निलम्बन हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को 03 दिवस के भीतर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

7. निरीक्षण के पाया गया कि चिकित्सालय परिसर में पीछे की तरफ 05 ड्रमों में मिट्टी का तेल भरकर रखा हुआ हैं। प्रभारी चिकित्साधिकारी से पूँछतांछ की गयी तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त तेल किसी अधिवक्ता का है, किन्तु उसके बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित तहसीलदार लालगंज को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण का परीक्षण कर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से सामंजस्य

———————3

स्थापित उक्त उक्त तेल की नियमानुसार सुपुदर्गी करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम–3/7 के अन्तर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

8. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि चिकित्सालय परिसर में पीछे की तरफ महेन्द्र पिकप जीप संख्या : **UP 72 P 9637** में लगभग 11 बोरी धान आदि के बीज रखे हुए हैं। इस सम्बन्ध में प्रभारी चिकित्साधिकारी से पूँछतांछ करने पर उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित तहसीलदार लालगंज एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लालगंज को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण का संयुक्त रूप से परीक्षण कर तत्काल नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

9. उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में ही जनपद के समस्त चिकित्सालयों के नियमित संचालन तथा आवश्यक अभिलेखों एवं उपकरणों आदि को अद्यावधिक स्थिति में रखे जाने हेतु पूर्व में ही समीक्षा बैठक करके स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था, किन्तु खेद का विषय है कि उक्त का अनुपालन नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। यह स्थिति अत्यन्त ही चिन्ताजनक है। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के लिए उत्तरदायी मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। साथ ही मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद के समस्त चिकित्सालयों में शासन के निर्देशानुसार समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(डा0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़।

संख्या :1187/शिविर–2016 दिनांक : जून 11, 2016

1. आयुक्त महोदय, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़।
4. उप जिलाधिकारी लालगंज, प्रतापगढ़।
5. जिला विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
6. उप कृषि निदेशक, प्रतापगढ़।
7. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़। जिला पूर्ति अधिकारी, प्रतापगढ़।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ़।
9. प्रभारी पशु चिकित्साधिकारी, लालगंज, प्रतापगढ़।
10. अन्य समस्त सम्बन्धित।

जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।